

(iv) National Consultative Forum with representation from related Ministries and Institutions to be constituted for monitoring of modernisation of DAP Systems. The Ministry of Non-Conventional Energy Sources to continue its role as the apex body for policy making and coordination;

(v) Already improved DAP Systems are to be taken to the field by providing subsidy and soft loan in the initial stages with an ultimate objective of commercialisation;

(vi) Awareness to be created on improvement of DAP Systems through print|electronic media and by organising seminars at Regional and State level; and

(vii) World Conference on DAP to be organised involving national Governments and International agencies like World Bank etc. to contribute to the Global effort for modernisation of DAP Systems, etc.

(c) and (d) Though, there was no specific suggestion made regarding enactment of laws, suggestions have been made on need for improving the Draught Animal breeds and their health care. The Government has a scheme during Eighth Five Year Plan period for providing financial assistance to the State Governments for the development and preservation of specific breeds of bull under its National Bull Production Programme. The breeding aspects of the draught animals would be included in the National Programme on Draught Animal Power.

(e) and (f) The Government have sponsored studies to Indian Institute of Management, Bangalore and CARTMAN, Bangalore on the contribution of Draught Animal Power to our energy needs. As per the findings of these studies about 84 million population of draught animal

power in the country has an estimated exploitable energy potential of 42 million Horse Power equivalent to about 30,000 MW.

**केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों को मान्यता दिया जाना**

\*650. श्री गोविन्द राम मिरी :  
श्री लक्खोराम अध्यक्षाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों को मान्यता दिये जाने संबंधी नये नियमों का व्यौरा क्या है ; और

(ख) विभिन्न कर्मचारी संघों की सदस्य संख्या का निर्धारण करने की विभिन्न विधियों का व्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम, लोक शिकायत और पैशान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आलवा) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सवा एसोसिएशनों की मान्यता केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियमावली, 1993, जिसकी एक प्रति संलग्न है, के अनुसार विनियमित की जाती है, (नीचे देखिये)।

(ख) मान्यता चाहने वाली केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा एसोसिएशनों की सदस्यता का सत्यापन चैक आफ पद्धति के तहत किया जाएगा। इस पद्धति के अधीन किसी एसोसिएशन की कुल सदस्यता का सत्यापन कर्मचारियों द्वारा ऐतन पंजियों से सदस्यता अंशदान की कटौती के लिये दी गई लिखित सहमति पर आधारित रिकार्डों से किया जाएगा।

भारत त के राजपत्र के भाग 2, खंड 3,  
उप खंड 1 में प्रकाशनार्थ ]

**केन्द्रीय सिविल (सेवा संगमों की मान्यता)**  
नियम, 1993

संख्या—2/10/80—जे०सी०ए० (खंड IV)

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 93

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात और केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1959 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)  
इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ख) "सरकारी सेवक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सिविल

सेवा (आचरण) नियम, 1964 लागू होता है।

3. लागू होना : ये नियम सभी सरकारी सेवकों के, जिसके अन्तर्गत रक्षा सेवा में के सिविलियन सरकारी सेवक भी आते हैं, सेवा संगमों को लागू होंगे किन्तु ये रेल मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों और रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठायनों में नियोजित कर्मकारों को, जिनके लिये मान्यता के पृथक नियम विद्यमान हैं, लागू नहीं होंगे।

4. पहले से मान्यता प्राप्त सेवा संगम : ऐसा कोई सेवा संगम या परिसंघ, जिसे इन नियमों के प्रारंभ से पहले सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और जिनकी बावजूद मान्यता ऐसे प्रारंभ पर अस्तित्व में है, ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक, जिसको मान्यता वापस ले ली जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो इस प्रकार मान्यता प्राप्त बना रहेगा।

5. सेवा संगमों की मान्यता के लिए शर्तें :

ऐसे सेवा संगम को जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) सेवा संगम की मान्यता के लिए सरकार को दिए गए आवेदन में संगम के ज्ञापन, संविधान, संगम की उपविधियों, पदाधिकारियों के नाम, कुल सदस्य संख्या और कोई अन्य जानकारी जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो, अन्तर्विष्ट होगी;

(ख) तेवा संगम का गठन मुख्य रूप से इसके सदस्यों के सामान्य हितों की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया है;

(ग) सेवा संगम की सदस्यता ऐसे सरकारी सेवकों के सुभिन्न प्रवर्ग के लिए निर्बन्धित की गई है जिनका सामर्थ्य

हित है और ऐसे सभी सरकारी सेवक सेवा संगम की मददशता के लिए पात्र हैं ;

(घ) (i) संगम किसी प्रवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुनाद 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता हो परन्तु जहां केवल एक ही संगम है जिसकी 35 प्रतिशत से अधिक मददशता है वहां दूसरी सर्वाधिक सदस्यता वाले अन्य संगम को जिसकी यद्यपि मददशत संख्या 35 प्रतिशत से अधिक है, मान्यता प्रदान की जा सकेगी यदि उसकी कम से कम सदस्यता 15 प्रतिशत है ।

(ii) सरकारी सेवक की सदस्यता जिस प्रवर्ग का वह है उसमें न रहने से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी ;

(इ) सरकारी सेवक जो सेवा में है सेवा संगमों के सदस्य या पदाधिकारी होंगे;

(ब) सेवा संगम का गठन किसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों के भीतर किसी समूह या वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उसके आधार पर नहीं किया जाएगा ;

(छ) सेवा संगम की कार्यकारिणी की नियुक्ति केवल मदस्यों में से की गई है ; और

(ज) सेवा संगम निधि में अनन्य रूप से सदस्यों के अंशदान और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, यदि कोई हो, आते हैं और जो केवल सेवा संगम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उपयोगित किए जाते हैं ।

6. शर्तें जिनके अधीन मान्यता बनी रहेगी :

इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त प्रत्येक संगम नियमित शर्तों का अनुपालन करूँगा; अर्थात् :—

(क) सेवा संगम, सेवा संगम के सदस्यों के सामान्य हित के मामलों से संबंधित विषयों के अलावा कोई अभ्यावेदन या शिष्टमंडल नहीं भेजेगा ;

(ख) सेवा संगम सरकारी सेवकों के वैयक्तिक सेवा मामलों से संदर्भित हेतुकों को न ही अपनाएगा और न ही समर्थन देगा ;

(ग) सेवा संगम कोई राजनीतिक निधि नहीं रखेगा या उसे किसी राजनीतिक दल या ऐसे दल के किसी सदस्य के विचारों का प्रचार करने के लिए अपनी सेवाएं नहीं देगा ;

(घ) सेवा संगम द्वारा सभी आभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे और सरकार के सचिव/संगठन या विभाग या कार्यालय के प्रधान को संशोधित किए जाएंगे ;

(ङ) सेवा संगम के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक सूची और उसके नियमों की एक अद्यतन प्रति और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण सरकार को प्रति वर्ष साधारण वार्षिक बैठक के पश्चात उचित माध्यम से भेजा जाएगा जिससे कि वह प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई के पूर्व सरकार के पास पहुँच सके ।

(च) सेवा संगम अपने संविधान/उप-विधियों के सभी उपबंधों का पालन और अनुपालन करेगा ;

(छ) इन नियमों के अधीन सेवा संगम की मान्यता के पश्चात् उसके संविधान उप-विधि में कोई संशोधन केवल सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किया जाएगा ;

(ज) सेवा संगम सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियतकालिक पत्रिका, मैगजीन या बुलेटिन शुरू या प्रकाशित नहीं करेगा ;

(झ) सेवा संगम किसी नियतकालिक पत्रिका, मैगजीन या बुलेटिन का प्रकाशन बंद कर देगा, यदि सरकार द्वारा इस

आधार पर ऐसा करने का निदेश दिया जाता है कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के हितों पर या सरकारी सेवकों और सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के बीच या भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच अच्छे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है;

(अ) सेवा संगम, सरकार के माध्यम के सिवाय किसी विदेशी प्राधिकारी को न तो कोई पत्र लिखेगा या न ही कोई पत्र-च्यवहार करेगा जिसे सरकार को विचारित करने का अधिकार होगा ;

(इ) सेवा संगम कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने में सहायता नहीं करेगा जो यदि सरकारी सेवक द्वारा किया जाता तो उससे केन्द्रीय मिशन सेवा (आचरण) नियम, 1964 के किसी उपबंध का उल्लंघन होता है ; और

( ) सेवा संगम या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वास सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को संबोधित पत्रों में असम्मानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

#### 7. सदस्यता का सत्यापन :

(1) सेवा संगम की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता का सत्यापन ऐसे अंतरालों पर बेतन पत्रकों में चैक-आफ-पढ़ति द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी सरकार आदेश द्वारा विहित करे ।

(2) सरकार, किसी भी समय, सदस्यता के विशेष सत्यापन के लिए ग्रावेंड कर सकेगी, यदि जांच कराने के पश्चात् उसकी यह राय है कि सेवा संगम के नियम 5 के खण्ड (अ) के उपखण्ड (1) के अधीन अपेक्षित सदस्यता नहीं रह गई है ।

#### 8. मान्यता वापस लेना :

विदि, सरकार की राय में, इन नियमों के 'श्रीन मान्यता प्राप्त कोई सेवा संगम

नियम 5 या नियम 6 या नियम 7 में उपवर्णित शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सरकार, सेवा संगम को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सेवा संगम को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी ।

#### 9. शिथिलीकरण :

सरकार, इन नियमों में से किसी भी नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि वह किसी सेवा संगम के बारे में उचित समझे, अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी ।

#### 10. निर्वचन :

यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है या मान्यता की शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई विवाद है तो वह सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(जे०ए० माथुर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मादा पुर्च, रिंग रोड,  
नई दिल्ली ।

विकास केन्द्र (ग्रोथ सेंटर) योजना को समाप्त किया जाना

\*651. श्रीमती मुष्मा रघुराज :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल 1994 के "फाइनेंशिल एक्टप्रैस" में शोब सेंटर स्कीम शेल्फ शीषक